न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 118/16, जी.सी.एम.एस. नं. 2016/00048

1. उम्मेदा पुत्र सुभान जाति मुसलमान } निवासीयान सूरवाल तहसील व जिला
2. फरियाद पुत्र सुभान जाति मुसलमान } सवाई माधोपुर, राज0।

अपी0

बनाम

1. मंदिर मूर्ति श्री गोपाल जी महाराज विराजमान भैरू दरवाजा के पास सवाई माधोपुर द्वारा व्यवस्थापक चक्रधर शर्मा पुत्र श्री जटाशंकर शर्मा निवासी भैरू दरवाजा, शहर, सवाई माधोपुर, राज0।
2. राजस्थान राज्य द्वारा जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर।
3. अधिशाषी अभियन्ता पी.डब्लू.डी. सवाई माधोपुर।
4. हनुमान पुत्र रामफूल जाति मीना निवासी सूरवाल तहसील व जिला सवाई माधोपुर, राज0।

रेस्पों0

(अपील विरूद्व निर्णय व डिग्री न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर मु0न0 17/2002 निर्णय व डिग्री दिनांक 21.04.2010 व बखिलाफ आदेश दिनांक 28.09.2016 न्यायालय उपजिला कलेक्टर सवाई माधोपुर मु.नं. 59/2012)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपी0 की ओर से श्री श्याम सुन्दर शर्मा
2. रेस्पो0 की ओर से श्री विष्णु सोमानी

30.11.21

निर्णय **दिनांक 30.11.2021**

1. प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम 1955) के तहत मुकदमा नम्बर 59/2012 निर्णय दिनांक 28.09.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पों0 की ओर से एक वादपत्र घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा एवं बेदखली का इस आशय का पेश किया कि वादी/रेस्पों0 की खातेदारी की भूमि ख.नं. 1427 रकबा 2 बिस्वा ठहरा अव्वल, खसरा नं. 1428 रकबा 4 विस्वा बंजड अव्वल एवं खसरा नं. 1429 रकबा 4 बिस्वा गैर मुमकिन डोल ग्राम में स्थित है। प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 ने खातेदार वादी/रेस्पों. को बिना नोटिस दिये एवं बिना पूर्व सूचना दिये भूमि खसरा नं. 1427 में से 8 बिस्वा एवं खसरा नं. 1428 में से 3 विस्वा भूमि सडक निकालने के लिये खातेदार को मुआवजा अदा किये बिना ही आंवटित की थी। जिसकी जानकारी पर खातेदार के अभिभाषक द्वारा दिनांक 22.06.

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:59:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

2001 को रजिस्टर्ड नोटिस धारा 80 व्यवहार प्रकिया संहिता का 2 माह का दिया। नोटिस की सूचना प्रतिवादी नं. 3 रामफूल एवं प्रतिवादीगण नं. 4 व 5/अपी0 सं. 1 व 2 के पिता सुमान पुत्र नेहन्या जाति मुसलमान निवासी ग्राम सूरवाल को भी दी। लेकिन प्रतिवादी नं. 3 रामफूल ने कोई जवाब नहीं दिया एवं सुमान पुत्र नेहन्या मुसलमान निवासी सूरवाल की मृत्यु होने के कारण उसके उत्तराधिकारी वारिसान प्रतिवादी नं. 4 व 5/अपी0 सं. 1 व 2 को प्रतिवादीगण/अपी0 बनाया गया। प्रतिवादीगण सं. 3 व प्रतिवादीगण सं. 4 व 5/अपी0 सं. 1 व 2 की ओर से नोटिस का कोई जवाब नहीं आया और न ही यह बताया कि सडक में गई भूमि का कितना व किसको मुआवजा दिया गया है। वादी/रेस्पों. ने प्रतिवादीगण/अपी0 से बराबर जानने की कोशिश कि, कि मुआवजा राशि कितनी बनी और उसका क्या हुआ लेकिन प्रतिवादीगण/अपी0 ने बताने से साफ इन्कार कर दिया। वादी/रेस्पों. मूर्ति मंदिर नाबालिग शाश्वत् हैं। इसलिये सडक में आवाप्ति की गई भूमि का मुआवजा नियमानुसार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं प्रतिवादीगण नं. 3 व प्रतिवादीगण नं. 4 व 5/अपी0 नं. 1 व 2 को अवाप्त की गई भूमि में शेष बची हुई भूमि से बेदेखल कर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी हैं क्योंकि उक्त भूमि से प्रतिवादीगण/अपी0 का कोई सरोकार नहीं है। अतः प्रतिवादीगण/अपी0 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें कि वह वादी/रेस्पों. की खातेदारी की भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे न किसी अन्य से करावें। वादी/रेस्पों. की उक्त विवादित भूमि से प्रतिवादीगण/अपी0 को बेदखल कर कब्जा वादी/रेस्पों. का करवाया जावें। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/रेस्पों0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पों0 का दावा स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर प्रतिवादीगण/अपी0 द्वारा दर0 आर्डर 9 रूल 13 सी.पी.सी. का एक प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण/अपी0 का प्रार्थना पत्र आर्डर 9 रूल 13 सी.पी.सी. खारिज किये जाने से व्यथित होकर प्रतिवादीगण/अपी0 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर

2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पों0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

3. अपीलांट के विद्वान अधि[illegible] ने बहस में [illegible] सीमा के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि निर्णय व डिक्री दिनांक [illegible] दिनांक 28.09.2016 अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून [illegible] विधि विरूद्ध है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। अपी0 सं. 1 व 2 की [illegible] तामील को मानकर अधिनस्थ न्यायालय ने अहम कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि अपी0 सं. 1 का पुत्र सकील के हस्ताक्षर तामील करवाये गये सम्मन पर हस्ताक्षर से मेच नहीं करते है। इसी कदर अपी0 सं. 2 फरियाद की अगूंठा निशानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:59:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

सम्मन तामील पर की गयी अंगूठा निशानी से मेच नहीं करती है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपी0 की एक तरफा निर्णय व डिक्री सेटेअसाईड करने की प्रार्थना पत्र को नहीं मानकर अहम कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28.09.2016 में यह तो माना है कि यदि गलत तामील हुयी है तो अलग से कानूनी कार्यवाही करने के लिए अपी0 स्वतंत्र है केवल मियाद के प्रश्न पर ही प्रार्थना पत्र एक तरफा निर्णय डिक्री निरस्त नहीं किया जाना कानूनन गलत है। चूंकि अपी0 को एकतरफा निर्णय व डिक्री दिनांक 21.04.2010 का पता दिनांक 06.05.2011 को रजिस्टर्ड नोटिस रेस्पों. नं. 1 के व्यवस्थापक द्वारा नियुक्त वकील द्वारा भिजवाये जाने पर हुई। जानकारी होने पर एकतरफा निर्णय डिक्री अपास्त की जाकर सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत किया था जिसे नहीं मानकर अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है। उक्त विवादित आराजीयात मय वादपत्र ख.नं. 1427 रकबा 2.00 बीघा, ख.नं. 1428 रकबा 0.04 विस्वा, ख.नं. 1429 रकबा 0.41 विस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 2 बीघा 8 विस्वा वाके ग्राम सूरवाल के तन में स्थित भूमि में से सडक में एक्वायर खसरा नं. 1427 में से 8 विस्वा व खसरा नं. 1428 में से 3 विस्वा भूमि सडक में निकाले जाने के बाद हम अपी0 के नाम कुल भूमि 01 बीघा 17 विस्वा शेष बची है। उसके कदीमी काबिज काश्त खातेदार हम अपी0 वर्तमान समय व उससे पहले अपी0 के बुजुर्गान काबिज काश्त खातेदार चले आ रहे है। मुतदाविया भूमि बीस साल पहले सैटलमेंट विभाग द्वारा गलती से रामफूल पुत्र धन्ना मीना निवासी सूरवाल के नाम लग गयी थी किन्तु मौके पर सम्वत् 2012 से लगातार हम अपी0 व अपी0 के बुजुर्गान ही काबिज काश्त है। जमाबंदी चौसाला में भी अपी0 व अपी0 के पिता स्व. सुभान उपकृषक के नाम खातेदारी के इन्द्राजात सम्वत् 2042 ल0 2045 जमाबंदी वाके ग्राम सूरवाल में दर्ज चले आ रहे है। अधिनस्थ न्यायालय ने दावे में लैण्ड होल्डर तहसीलदार सवाई माधोपुर को कानूनी रूप से आवश्यक होते हुये भी पक्षकार नहीं बनाया है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया है कि मंदिर मूर्ति विराजमान ठाकुर जी श्री गोपाल जी मंदिर मूर्ति जागीरदार थे। मुतदाविया आराजीयात पर खुद काबिज काश्त नहीं थी। राजस्थान सरकार ने राजस्व ग्रुप–6 विभाग ने एक परिपत्र शासन उपसचिव द्वारा जारी किया है, उसके पैराग्राफ सं. 3 में अंकित किया है कि मंदिर मूर्ति जागीरदार [illegible] इसलिए कानूनम उसके नाम सब टिनेन्ट के नाम की खातेदारी को परिवर्तित [illegible] है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री [illegible] किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक [illegible] की जानकारी दिनांक 06.05.2011 को हुई तथा दिनांक 10.05.2011 को नकल प्राप्त की। इससे पूर्व अपीलांट को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थी। अपी0 द्वारा अपील पेश करने तक का समय क्षमा किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमन अधिनियम 1963 स्वीकार फरमाया जावें। इस प्रकार उक्त निर्णय का ज्ञान अपीलार्थी को हो सका। अतः अपीलांट

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:59:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

की अपील स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावें।

4. रेस्पों. के विद्वान अधिवक्ता ने अपील बहस में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि रेस्पों0 की खातेदारी की भूमि ख.नं. 1427 रकबा 2 बीघा ढेहरी अव्वल, खसरा नं. 1428 रकबा 4 विस्वा बंजड अव्वल एवं खसरा नं. 1429 रकबा 4 विस्वा गैर मुमकिन डोल ग्राम सूरवाल में स्थित है। खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2004 से 2023 एवं नकल जमाबन्दी सं. 2042 से 2045 की पेश है। रेस्पों. सं. 2 व 3 ने खातेदार रेस्पों. सं. 1 को बिना नोटिस दिये एवं बिना पूर्व सूचना दिये भूमि खसरा नं. 1427 में से 8 विस्वा एवं खसरा नं. 1428 में से 3 विस्वा भूमि सडक निकालने के लिये खातेदार को मुआवजा अदा किये बिना ही आंवटित की थी। जिसकी जानकारी पर खातेदार के अभिभाषक द्वारा दिनांक 22.06.2001 को रजिस्टर्ड नोटिस धारा 80 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का 2 माह का दिया। नोटिस की सूचना प्रतिवादी नं. 3 रामफूल एवं अपी0 नं. 1 व 2 के पिता सुमान पुत्र नेहन्या जाति मुसलमान निवासी ग्राम सूरवाल को भी दी लेकिन प्रतिवादी नं. 3 रामफूल ने कोई जवाब नहीं दिया एवं सुमान पुत्र नेहन्या मुसलमान निवासी सूरवाल की मृत्यु होने के बाद उसके उत्तराधिकारी वारिसान अपी0 नं. 1 व 2 की ओर से भी नोटिस का कोई जवाब नहीं आया और न ही यह बताया कि सडक में गई भूमि का कितना व किसको मुआवजा दिया गया है। रेस्पों. ने अपी0 से बराबर जानने की कोशिश कि, कि मुआवजा राशि कितनी बनी और उसका क्या हुआ लेकिन अपी0 ने बताने से साफ इन्कार कर दिया। रेस्पों. मूर्ति मंदिर नाबालिग शाश्वत् हैं इसलिये सडक में आवाप्ति की गई भूमि का मुआवजा नियमानुसार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अपी0 को अवाप्त की गई भूमि में शेष बची हुई भूमि से बेदेखल कर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी हैं क्योंकि उक्त भूमि से अपी0 का कोई सरोकार नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो का विधि पूर्वक अध्यनन एवं मनन कर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अपी0 को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी होते हुए भी जानबूझ कर अपील देरी से पेश की है। परिसीमन अधिनियम की धारा–5 के बारे में कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमन अधिनियम 1963 खारिज फरमाया जावे। अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री यथावत रखा जावे।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अध्यापन्त अवलोकन किया गया।

6. प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर ... प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 परिसीमन अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

7. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र दर्ज करने के उपरान्त प्रतिवादीगण को न्यायालय में दिनांक 06.06.2002 को उपस्थित होने हेतु सम्मन जारी किये गये।

30.11.21

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:59:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी सं. 4 का सम्मन उसके पुत्र सकील ने प्राप्त किया है। प्रतिवादी सं. 5 फरियाद का सम्मन स्वंय फरियाद ने प्राप्त कर निशानी अगूंठा किया है। अपील मीमों के बिन्दु सं. 2 में कथन किया है कि ''अपी0 सं. 1 व 2 की फर्जी तामील को मानकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अहम कानूनी गलती की हैं।'' यदि सम्मनों के तामील में किसी प्रकार की फर्जकारी हुई है तो अपी0 को सम्बन्धित के विरूद्व कार्यवाही किया जाना चाहिए था। पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिनसे यह साबित हो सके कि सम्मनों की तामील फर्जी तरीके से की गयी है। सम्मनों की तामील में फर्जकारी हुई है तो अपी0 कानूनी कार्यवाही करने हेतू स्वतंत्र है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टव्य नहीं होती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पूर्ण विवेचन व विश्लेषण के पश्चात किया गया है इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील खारिज योग्य है।

8. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपजिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के मु0नं0 59/2012 निर्णय दिनांक 28.09.2016 को यथावत रखा जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 30.11.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

30.11.21

(बी0 एल0 रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:59:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner